

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/

दिनांक:

पंचकर्म केन्द्र योजना अन्तर्गत अभ्यंगकर्मी (मसाजर) लगाये जाने हेतु बजट आवंटन

संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक:प.18(6)आयु./2016 पार्ट II दिनांक 21.08.17 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंचकर्म योजना अन्तर्गत पंचकर्म केन्द्रों के लिए जॉब बेसिस पर अभ्यंगकर्मी (मसाजर) लगाये जाने की 7 माह के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः स्वीकृति अनुसार बजट मद 2210-02-789-(01)-[01] -उपमद 05 कार्यालय व्यय में उपलब्ध राशि अनुसार 5 माह हेतु निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है। राशि उपलब्ध होने पर शेष 2 माह हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन कर दिया जावेगा।

कार्यालय कोड नम्बर	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का नाम जहाँ पंचकर्म केन्द्र पर अभ्यंगकर्मी लगाया जाना है।	आवंटित राशि (6000/-प्रतिमाह अनुसार)
2998	जि.आ.अ. बारा	राज.आयु.चिकि.छबड़ा बारा	30000/-
13776	जि.आ.अ. श्रीगंगानगर	राज.आयु. चिकि. श्रीगंगानगर	30000/-
13246	जि.आ.अ. चुरू	डी.बी.राज.आयु.चिकि. चुरू	30000/-
13898	जि.आ.अ. हनुमानगढ़	राज.प्राक.चिकि. हनुमानगढ़	30000/-
12235	जि.आ.अ. दौसा	राज.आयु. चिकित्सालय दौसा	30000/-
13125	जि.आ.अ. नागौर	राज.आयु. चिकि रेण	30000/-
14473	जि.आ.अ. उदयपुर	राज.आयु.औष. सिन्धी बाजार उदयपुर	30000/-
9738	जि.आ.अ. अलवर	राज.जिला आयु. चिकि. अलवर	30000/-
		योग-	240000/-

1. प्रावधित राशि का उपयोग तथा पंचकर्म केन्द्रों हेतु अभ्यंग कार्य को बिना पद सृजित किये, आर.टी.पी.पी. रूल्स के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए आउटसोर्स से जॉब बेसिस पर किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
4. नियमानुसार समिति का गठन किया जावे, जिसमें लेखाकर्मी व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सदस्य मनोनित किया जाकर व्यय की कार्यवाही की जावे।
5. सम्बन्धित केन्द्र पर व्यय राशि का विवरण/सूचना वर्ष के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे।

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/ 16127
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग।
3. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी, ।
4. संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय जिला आयु. चिकि. /राज.आयु. चिकि. ।
5. प्रभारी, सांख्यिकी शाखा/लेखा-4 अंक मिलान शाखा कार्यालय हाजा
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

वित्तीय सहायकार,

दिनांक: 4-9-17

वित्तीय सहायकार,